



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2008/फाल्गुन 21, 1929

No. 108]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2008/PHALGUNA 21, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2008

सा.का.नि. 173(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 230(अ) का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार उन संबंधित कार्यों को छोड़कर जो ऐसे अतिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने हैं, एतद्वारा एक सलाहकार बोर्ड एक वर्ष के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- | | |
|---|----------|
| (i) माननीय श्री न्यायमूर्ति मदन बि. लोकुड | —अध्यक्ष |
| (ii) माननीय सुश्री न्यायमूर्ति रेखा शर्मा | —सदस्य |
| (iii) माननीय श्री न्यायमूर्ति संजिव खन्ना | —सदस्य |

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2008 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 674/1/2005-सीशु-VIII]

एन. राजगोपालन, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : अधिसूचना सं. सा.का.नि. 230(अ), भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 23 मार्च, 2007 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2008

G.S.R. 173(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G. S. R. 230 (E) dated the 23rd March, 2007 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :

- | | |
|---|-----------|
| (i) Hon'ble Mr. Justice Madan B. Lokur | —Chairman |
| (ii) Hon'ble Ms. Justice Rekha Sharma | —Member |
| (iii) Hon'ble Mr. Justice Sanjiv Khanna | —Member |

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2008.

[F. No. 674/1/2005-Cus. VIII]

N. RAJAGOPALAN, Under Secy.

Footnote :—The Notification No. G. S. R. 230(E) dated 23rd March, 2007 was published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (i) on the 23rd March, 2007.